APP-A
crim-1

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी मुकाम लवाण

नारायण नायक बनाम शंकर नायक वगैरह

वाद नं. 170 सन् 2011

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
6 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत शिविर ग्राम सालरिया डेला मे पेश हुई वादी नारायण उपस्थित आया वादी को सुना जाकर वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया की सरहद सुल्तानपुरा स्थित वाद ग्रस्त 3.07 बीघा भूमि वादी के पिता शंकर को उनके पिता कजोड से प्राप्त हुई है जिसके प्रमाण मे राजस्व अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध है वादी का पिता आदतन शराबी होकर उनके नाम दर्ज भूमि को खुर्द बुर्द करना चाहता है परन्तु प्रतिवादीगण 1 के नाम दर्ज भूमि इनके द्वारा स्व. अर्जित नही होकर पुश्तैनी भूमि है जो पीढी दर पीढी हस्तान्तरित होकर प्रतिवादी सं० 1 को प्राप्त हुई है वादग्रस्त आराजियात जो दस्त सं० 2 मे अंकित है वादी प्रतिवादी सं० 1 का 1/2 हक	

नाम आराज संपूर्ण हक हिस्सा जिसमे,
वादी सं०1 लगायत 6 प्रमोद का
1/7 - 1/7 बनता है अतः ऐसी स्थिति
में वाद-पत्र स्वीकार किये जाने एवं
तदनुसार डिक्री फरमाई जाने बावत
इस्तदुआ की गयी।
हमने पत्रावली का मेरीट के आधार
पर अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत
वाद-पत्र की ताईद मे प्रस्तुत शपथ-पत्र
तथा राजस्व अभिलेखो का अवलोकन
किया गया।
न्यायालय के अभिमत मे यह निर्विवादित
तथ्य है, कि विपक्षी सं०1 शंकर की
वाद-ग्रस्त भूमि अपने पिता तथा,
वादीगण के दादा कमोड पुत्र गुरु-
नामड़ से विरासत से प्राप्त हुई है
जिसमे वादीगण सं०1 लगायत 06
तथा प्रतिवादी सं001 प्रमोद का
1/7 - 1/7 हक हिस्सा बनता है
जिस प्रापर्टी के वादीगण कानूनन हकदार
है अतः वादीगण का वाद-पत्र
बाहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण सं०
01 स्वीकार किये जाने के आदेश
प्रदान किये जाते है

मुकाम

बनाम

नं. सन्

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
! आदेश ! मौजा सुल्तानगढ़ परवार मण्डल सुल्तानगढ़ तहसील जेवड़ा स्थित आ० नं०, 458 510/1 एवं 519/1 कुल किता - 3 कुल रकबा 3.00 बीघा जो वर्तमान जमाबंदी में विपक्षी सं० 01 शेरू नायक पिता अजोड नायक निवासी सुल्तानगढ़ के नाम दर्ज रेकार्ड है, मे वादी सं० 01 लगायत 06 का (प्रत्येक का) 1/7 - 1/7 हक हिस्सा दर्ज रेकार्ड अभिलिखित किये जाने के आदेश प्रदान किये-जाते हैं इस प्रकार प्रतिवादी सं० 01 का हिस्सा भी 1/7 ही रहेगा। पालनार्थ TDR जेवड़ा को लिखा जावे मुताबिक निर्णय/आदेश डिक्री जारी हो पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो कर की बाद फैसल शुमार हो। निर्णय आज दिनांक 29/06/16 को खुले इजलास में सरे-अदालत सुनाया गया। [signature]	